राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 328/2009

बैजनाथ पुत्र श्री मंगल राम, प्रयोगशाला सहायक,

रा.उ.मा.वि. पहाड़ी जिला भरतपुर।

–अपीलार्थी

बनाम

निर्वाचक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर एवं अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 31.03.2009
आदेश की दिनांक : 12.07.2023

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. अपीलार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं। प्रत्यर्थी विभाग की ओर से श्री गौरव सिंह, राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

2. इस अपील में अपीलार्थी ने कथन किया है कि अपीलार्थी प्रयोगशाला सहायक के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, पहाड़ी जिला भरतपुर में कार्यरत है। इस अपील में निम्न प्रकार से प्रार्थना की गई हैः–

   (i) to pay 13 days salary i.e. .9220/- with interest to the appellant;

   (ii) to provide the duplicate service book, pass book of G.P.F., order, by which leave has been sanctioned from 1.11.2007 to 6.1.2008, order of fixation in VIth Pay Commission and copy of Bill No 100 dated 19.3.2008;

   (iii) to pay Rs.6500/- as interest paid by the appellant and Rs.1127/- as interest recovered by the G.P.F. Department and Rs.226/- per month loss occured to delayed payment deductions from the salary of the appellant with interest;

   (iv) to take appropriate action against the respondents No.4 & 5 Shri Roop Chand Mohar-Retired Principal and Shri Ram Chand U.D.C. respectively and necessary security/protection be provided to the appellant;

   (v) any other appropriate order or direction, which this Hon'ble Tribunal may deem just and proper, be passed in the interest of justice and to grant adequate relief to the humble appellant;

   (vi) costs of the appeal may kindly be awarded in favour of the appellant.

3. अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी ने पूर्व में अपने अधिवक्ता के माध्यम से एक नोटिस दिनांक 02.02.2009 (अनुलग्नक–6) प्रत्यर्थी विभाग को प्रेषित किया था।

4. इस अपील में प्रत्यर्थी विभाग की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है। वर्तमान में अपीलार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। ऐसे में यह

प्रकट नहीं होता है कि अपीलार्थी की ओर से दिया गया नोटिस पर प्रत्यर्थी विभान ने क्या कार्यवाही की है।

5. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह अपीलार्थी की ओर से प्रेषित नोटिस दिनांक 02.02.2009. (अनुलग्नक–6) पर राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 6 सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिए जा रहे है वरन् मात्र इस आशय से दिए जा रहे है कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन/नोटिस का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे। इस आदेश की एक प्रति प्रत्यर्थी संख्या 1 को प्रेषित की जावे।

6. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)